संख्या-भा0स0 74/14-2-2015-2275/10

प्रेषक,

लाल जी राय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0 लखनऊ।

अनुभाग-2 लखनउ, दिनांक, 29 जुलाई, 2015

विषय:- रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 रामपुर काठगोदाम खण्ड किमी0 8.400 से 43.00 तक चौड़ीकरण्/सुदृढ़ीकरण हेतु 54;76 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 9091 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र सख्या-2061/11-सी-रामपुर दिनांक 15-5-2015 तदक्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के सैद्वांतिक स्वीकृति-एफ0एन08-1/2012-एफसी, दिनांक 21-3-2012 व विधिवत स्वीकृति -एफ0एन0-8-1/2012-एफसी, दिनांक 05-05-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-87 रामपुर काठगोदाम खण्ड किमी0 8.400 से 43.00 तक चौड़ीकरण्/सुदृढ़ीकरण हेतु 54;76 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 9091 वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शर्तो/प्रतिबंधों एवं राज्य सरकार के शर्तो/प्रतिबन्धों को एतदद्वारा निम्नवत समावेश करते हुये विज्ञप्ति निर्गत की जाती है:-

(i) Legal Status of the forests land shall remain unchanged.

(ii) The Compensatory A forestation (CA) over degraded forest land, twice in extent to the area being diverted, shall be raised and maintained by the State Forest Department from the funds already provided by the user agency.

(3) भा0स0 The User Agency shall pay the additional NPV, if so determined, as per the final decision of Hon'ble Supreme Court of India.

(4) भा0स0 The User Agency will undertake comprehensive soil conservation measures at the project cost in consultation with the State Forest Department.

(5) भा0स0 The muck generated in the earth cuttings will be disposed off at the designated dumping sites and in no case the muck/debris will be allowed to roll down the hill slopes.

(6) भा0स0 In case the widening of the National Highway is to be done in areas already having adequate clearance, trees shall not be cut. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable under strict supervision of the State Forest Department.

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) भा0स0 No labour camps shall be set up inside the forest area.

(8) भा0स0 The user agency shall provide fuel wood preferably alternate fuel to the labourers working at the site to avoid damage to adjoining forests

(9) भा0स0 No damage to the flora and fauna of the area shall be caused.

(10) भा.स. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

(11) भा0स0 The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances specified in the proposal.

(12) भा0स0 The user agency will assist the State Government in conservation and preservation of flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State.

(13) भा0स0 The user agency will provide retaining walls, breast wall and drainage as per requirement to make the slope stable.

(14) भा0स0 The user agency will not collect any toll tax from the Forest Department vehicles.

(15) भा0स0 The designing of culverts/bridges, if any, over the natural streams/ rivers/canals should be done in such a manner that it does not hamper the natural course of water, does not give rise to water-logging, and also does not hamper movement of wild animals.

(16) भा0स0 The user agency shall take up strip plantation as per provision of IRC-SP-21-2009 and as per Guidelines on landscaping & tree plantation submitted by them on either side of the road.

(17) भा0स0 Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall undertake Af forestation measures along the roads within the area diverted under this approval, in consultation with the State Forest Department at the project cost.

(18) भा0स0 The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

(19) भा0स0 Any other condition that the State Govt. or the Chief Conservator of Forest (Central), Regional Office, Lucknow may impose from time to in the interest of conservation, protection and development of flora and fauna of the area.

(20) भा0स0 Compliance of any legal matters, in any court of law, shall be the responsibility of the user agency/ and the State Government.

(21) भा0स0 The user agency shall submit the annual compliance report in respect of the above conditions to the State Government and to the Regional Office, Lucknow regularly

(22) भा0स0 All other conditions stipulated in the Stage-I approval for which the user agency has submitted undertakings shall be complied with; and

(23) भा0स0 The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.

http://shasanadesh.up.nic.in

(24) भा0स0 All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred Ad-hoc CAMPA in account number CA 25230 of Corporation Bank, Block-11, CGO Complex, Phase-1, Lodhi Road, New Delhi-110510.

(25) भा0स0 The user agency will obtain the clearance under the provisions of ST & OTFD (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 before the final approval and will submit certificate towards the settlement of all claims and rights over the proposed forest land under the Act, along with the compliance report, as per the advisory dated 03.08.2009 issued by MoEF.

(26) प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(27) मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

(28) प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

(29) उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

(30) वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(31) प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक बृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग,लागिंग एवं ट्रान्सपोट्रेशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा। बृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।

(32) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो

http://shasanadesh.up.nic.in

(if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

(33) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी हैं।

(34) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(35) उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

(लाल जी राय)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-भा0सा0-74 (1)/14-2-2015-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हेतु है-

(1)- मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।
(2)- जिलाधिकारी, रामपर।
(3) मुख्य वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
(4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।
(5) परियोजना निदेशक, एन0एच0ए0आई0, पी0आई0यू0 रूद्रपुर, उत्तराखण्ड।
(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in